mail/[illegible]
[illegible] 19/4/18

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0सं0–1/योजना–छात्रवृति–08/2009– 39,

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 19/04/18

विषयः **वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना बजट प्रावधान के अन्तर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल रू0 25000.00 लाख (रू0 दो अरब पचास करोड़) मात्र बजट प्रावधान के अन्तर्गत संकल्प संख्या–2565 दिनांक–21.12.2017 के आलोक में बिहार राज्य के 38 जिलों के लिए राशि के व्यय की स्वीकृति।**

**आदेश– स्वीकृत ।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल रू0 25000.00 लाख (रू0 दो अरब पचास करोड़) मात्र व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2–उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–34–छात्रवृत्ति/वजीफा–0101.34.01–छात्रवृत्ति/ वजीफा विपत्र कोड़–11–2225032770101 के अधीन विकलनीय होगा।

3–इस स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प संख्या–2565 दिनांक–21.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

4–शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि निकासी कर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में राशि का अन्तरण करेंगे। छात्रवृति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

5-- इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98, बिहार कोषागार संहिता (संशोधित, दिनांक–07.02.2014), 2011 के नियम–273 में उल्लेखित Scholarship तथा Stipend की निकासी हेतु "The list of Statement showing name of student, name and address of father, class, roll no, Scheme name, Period, rate of stipend and total amount shall be attached with all BTC-43 bills", वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3808 दिनांक–02.06.2017 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6–स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपलब्ध योजना उदव्यय एवं बजट के अन्तर्गत है।

7–प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8–प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

9–सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

10–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

D/PMS Sanction & Allotment

PTO

ज्ञापांक– 1/योजना–छात्रवृत्ति–08/2009– 39 पटना, दिनांक– 19/04/18

प्रतिलिपि–महालेखाकर (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.4.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/योजना–छात्रवृत्ति–08/2009– 39 पटना, दिनांक– 19/04/18

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.4.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1/योजना–छात्रवृत्ति–08/2009– 39 पटना, दिनांक– 19/04/18

प्रतिलिपि–सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.4.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/योजना–छात्रवृत्ति–08/2009– 39 पटना, दिनांक– 19/04/18

प्रतिलिपि–विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा)/सहायक (बजट शाखा), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना /प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निमग, सोन भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई० टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.4.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/योजना–छात्रवृत्ति–08/2009– 39 पटना, दिनांक– 19/04/18

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

18.4.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/योजना–छात्रवृत्ति–08/2009– 39 पटना, दिनांक– 19/04/18

प्रतिलिपि–सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.4.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/योजना–छात्रवृत्ति–08/2009– 39 पटना, दिनांक– 19/04/18

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के निजी सहायक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

18.4.18

सरकार के सचिव।

D/PMS Sanction & Allotment